



आदेश

उप-कार्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य को उनके नामों के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त चार्ज व डीडीओओ तत्काल प्रभाव से दी जाती है:-

क्र०	जिस संस्थान की आदान-प्रदान शक्तियां दी जाती है।	जिन संस्थान के प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक को आदान प्रदान की शक्तियां दी जाती है।	रिमाकर्स
1.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पहाड़ीपुर।	श्री अनिल दलाल, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मातनहेल।	यह कार्य उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त दिया जाता है तथा इस कार्य के लिये उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा। जब तक वहां पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राखीशाहपुर।	श्री संदीप अहलावत, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हांसी।	-यथो-
3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मकड़ौली कला।	श्री रमेश प्रकाश, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हसनगढ़।	-यथो-
4.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (महिला), डुंगरखा।	श्री विनोद कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उवाना खुर्द।	-यथो-
5.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमालपुर।	श्री सतबीर, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तोशाम।	-यथो-
6.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कलाली-बलाली।	श्री ईश्वर चन्द, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी।	-यथो-

दिनांक 30.11.2016

अंशज सिंह
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क्र० केसी/टीई/99/158/डीडीओ/13085

दिनांक: 30/11/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. संयुक्त निदेशक (तकनीकी)।
2. संयुक्त निदेशक (मशीनरी)।
3. नोडल अधिकारी विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने बारे।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पहाड़ीपुर, मातनहेल, राखीशाहपुर, हांसी, मकड़ौली कला, हसनगढ़, उवाना खुर्द, जमालपुर, तोशाम, कलाली-बलाली, भिवानी तथा (महिला) डुंगरखा।
5. खजाना अधिकारी, झुंजर, हिसार, रोहतक, जीन्द, भिवानी।
6. सम्बन्धित अधिकारी।

Bhauw

सहायक निदेशक (स्थापना-II)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

B